
DEFENDER
IND UP35BR



प्रेस विज्ञप्ति
05.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के मामले में 31.12.2025 और 01.01.2026 को दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में 09 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। ये परिसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से जुड़े हैं, और विभिन्न ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप्लिकेशन अपराध की आय (पीओसी) के सृजन और शोधन में शामिल होने के संदेह में हैं। तलाशी के दौरान, अनुराग द्विवेदी की दो हाई-एंड कारें लैंड रोवर डिफेंडर, बीएमडब्ल्यू जेड4 पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त/फ्रीज कर दी गई हैं। इसके अलावा, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

इससे पहले, 17.12.2025 को, ईडी ने यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी से जुड़े लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में 10 परिसरों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान, चार हाई-एंड वाहन लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और थार के साथ-साथ अपराध-संकेती, डिजिटल उपकरण और लगभग 20 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। जब्त की गई सामग्री से हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में रियल एस्टेट निवेश का पता चला, और बीमा पॉलिसियों, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक बैलेंस के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपये की चल संपत्ति पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1क) के तहत फ्रीज कर दी गई।

ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के संचालन के संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह पता चला कि आरोपी सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज द्वारा म्यूल बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सिलीगुड़ी से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल चलाया जा रहा था। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि अनुराग द्विवेदी अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता था, हवाला चैनलों और म्यूल खातों के माध्यम से पीओसी प्राप्त करता था और ऐसी आय से दुबई में अचल संपत्ति अर्जित करता था। यह भी पता चला कि वह भारत छोड़कर दुबई में रह रहा है और कई समन जारी होने के बावजूद ईडी के समक्ष पेश होने में विफल रहा है।

इससे पहले इसी मामले में ईडी ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष 01.08.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। ईडी ने तत्काल मामले में 27 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज/अटैच भी किया था।

आगे की जांच जारी है।